तारीख हुक्म	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला, आर.ए.एस. हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निर्णय – 1	नम्बर व तारीख अहकाम जो जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये
14.05.2025	प्र.सं. 08/2025 जीसीएमएस : 2025/19 टहल सिंह पुत्र चनन सिंह जाति मजबीसिख निवासी 6 एलपीएम, पोस्ट ऑफिस मोकमवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज. जरिए वारिस गुरमुख सिंह पुत्र हरदम सिंह जाति मजबीसिख निवासी 6 एलपीएम, पोस्ट आफिस मोकमवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर —प्रार्थी बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान —अप्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट उपस्थिति :— 1. श्री राकेश वर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी 2. राजपैरोकार, अप्रार्थी —:: **निर्णय** ::— संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के दादा के नाम से तहसील श्रीविजयनगर के चक 14 एएस ए खाता सं. 81 में मु.नं. 95 व 96 की कुल 7.439है. कमाण्ड/अनकमाण्ड रकबा दर्ज रिकार्ड है। जिस पर प्रार्थी का परिवार ही मालिक व काबिज है। जमाबंदी में प्रार्थी के दादा का नाम टहल सिंह पुत्र चनन सिंह के स्थान पर बहाल सिंह पुत्र चनन सिंह संहबन से दर्ज चला आ रहा है जो गलती से दर्ज कर दिया गया है। जबकि आवंटन आदेश, तहसीलदार द्वारा जारी भूमि हीन काश्तकार का प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिस प्रमाण पत्र में नाम टहल सिंह अंकित है। रिकार्ड में प्रार्थी के दादा का नाम बहाल सिंह होने के कारण प्रार्थी को व प्रार्थी के समस्त परिवार के सदस्यों को किसी भी प्रकार का सरकारी लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है तथा अन्य नामान्तरण आदि कार्य भी नहीं हो पा रहे हैं। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर चक 14 एएस ए जमाबंदी खाता सं. 81 में बहाल सिंह पुत्र चनन सिंह के स्थान पर टहल सिंह पुत्र चनन सिंह दर्ज करने के आदेश देने हेतु निवेदन किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। तहसीलदार श्रीविजयनगर से जांच रिपोर्ट तलब की गयी। मुताबिक रिपोर्ट प्रश्नगत भूमि बहाल सिंह पुत्र चनन सिंह गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड है। पर्चा खतौनी के उक्त रकबा में बहल सिंह पुत्र चनन सिंह जाति हरिजन सा0 उपनगर भूमिहीन पुख्ता आवंटन आदेश 347 दिनांक 17.05.1982 दर्ज रिकार्ड था। तत्पश्चात जमाबंदी संवत 2045—48 में उक्त रकबा में नाम बहलसिंह के स्थान पर बहाल सिंह दर्ज रिकार्ड हुआ आदिनांक तक बहाल ... राजस्व रिकार्ड में अंकन चला आ रहा है। बहस वकील प्रार्थी ... प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए ... स्वीकार कर राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के दादा के नाम बहाल सिंह के स्थान पर टहल सिंह दर्ज किये जाने की दुरूस्ती करने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में बहाल सिंह के स्थान पर टहल सिंह दर्ज करवाना चाहता है। रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार पर्चा खतौनी के उक्त रकबा में बहल सिंह पुत्र चनन सिंह जाति हरिजन सा0 उपनगर भूमिहीन पुख्ता आवंटन आदेश 347 दिनांक 17.05.1982 दर्ज रिकार्ड था। तत्पश्चात जमाबंदी संवत 2045 —48 में उक्त रकबा में नाम बहलसिंह के स्थान पर बहाल सिंह	

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:36:40 IST
Reason: SelfAttested

प्र.सं. 08 / 2025 जीसीएमएस : 2025 / 19

टहल सिंह बनाम सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. भू राजस्व अधि.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये

निर्णय – 2

दर्ज रिकार्ड हुआ आदिनांक तक बहाल सिंह नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन चला आ रहा है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। ग्राम पंचायत 6 / 8 एलपीएम द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 27.07.2005 में नाम टहल सिंह पुत्र चणन सिंह दर्ज है। प्रस्तुत दस्तावेज छायाप्रति आवंटन आदेश 347 दिनांक 17.05.1982 में नाम टहल सिंह पुत्र चनन दर्ज है। उप तहसीलदार श्री करनपुर द्वारा जारी भूमिहीन काश्तकार का प्रमाण पत्र दिनांक 11.01.1976 में नाम टहल सिंह पुत्र चनन सिंह अंकित है। ऐसी स्थिति में उक्त दस्तावेजों के आधार पर न्यायालय का यह मत है कि राजस्व रिकार्ड में बहाल सिंह के स्थान पर टहल सिंह की दुरूस्ती की जानी उचित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व रिकार्ड चक 14 एएस ए खाता सं. 81 में काश्तकार का नाम बहाल सिंह पुत्र चनन सिंह के स्थान पर टहल सिंह पुत्र चनन सिंह दुरूस्त कर दर्ज करने के आदेश दिए जाते है। शेष अंकन यथावत रहेगा। निर्णय की प्रति तहसीलदार श्रीविजयनगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 14.05.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

शकुन्तला
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:36:40 IST
Reason: SelfAttested